न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 62/2021
GCMS No-2021/185

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		धर्माराम पुत्र श्री उगराराम जाट(मालिक) मैसर्स बालाजी बोटलिंग, बाझाकुडी रोड सरस्वती नगर जैतारण, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक - 18.10.21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब पेश किया किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 14.11.2020 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बालाजी बोटलिंग पर गये। जिस पर वह स्वयं उपस्थित मिला तथा उसकी फर्म का निरीक्षण करने पर उसके गोदाम में wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's के 15 पैक मुल पैकेट रखे पाये गये। जिसमें प्रत्येक पैकेट में 75 पीस एवं प्रत्येक पीस में 6 ग्राम का था। जिनमें से चार पैकेट wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's के नमूना वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's को चार भागों में लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1162 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's को जो अमानक Misbranded का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी नियत तारिख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार कि मिलावट नही की गई है। जैसे मुझे प्राप्त हुआ वैसा ही मेने बेचा है। इसलिए मेरे खिलाफ खाद्य प्रकरण में चल रही कार्यवाही ड्रोप कराने का श्रम करावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.11.2020 को अप्रार्थी की फर्म से खाद्य पदार्थ wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1162 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.11.2020 को जो सैम्पल लिया गया है, वह अप्रार्थी की फर्म से लिया गया है, जो नमूना कोड संख्या आर–1162 अंकित करते हुए उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थ wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./980/एक्ट/2020/ 978 दिनांक 28.12.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1162 को Misbranded माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Mis branded खाद्य पदार्थ wafer biscuits with choco layer Brand Ritika's का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,0000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 18.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली